न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 30/2023
1—गौतम जैन पुत्र गजेन्द्र कुमार जैन जाति वैश्य निवासी कस्बा कामां तहसील कामां, (डीग)
प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (डीग) राजस्थान
अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
1— श्री रूपसिंह प्रार्थी अधिवक्ता
2— पैरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.04.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर भूमि साविक खसरा नम्बर 174/1 बीघा 12 विस्वाा वाके ग्राम लाडलाका तहसील कामां जो बाद में दो व्यक्तियों को आवंटन हो गया जिसके बाद में साविक खसरा नम्बर 695/174/0.09 हैक्टर व 696/174/0.16 हैक्टर वाके ग्राम लाडलका बन गये । बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 225/0.16, 226/0.10 हैक्टर कायम किये हैं ।साविक खसरा नम्बर 174 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम लाडलाका की किस्म पूर्व में 1 बीघा 10 विस्वा बंजड कदीम व 2 विस्वा गैर मु0 चाह पुख्ता थी जो नकल जमाबन्दी सं0 2016 लगा0 2019 से पूर्ण रूप से स्पष्ट है । साविक खसरा नम्बर 695/174/0.09 हैक्टर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि है । जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 226 /0.10 हैक्टर कायम किया है । जिस पर प्रार्थी वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त है । उक्त नम्बर को कायम करते वक्त बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से खसरा नम्बर 226की किस्म बंजड कदीम के स्थान पर गैर मु0 रास्ता जमाबन्दी मे दर्ज कर दिया है । साविक खसरा नम्बर 696/0.16 का नया खसरा नम्बर 225/0.16 की किस्म चाही 2 दर्ज की है । जबकि खसरा नम्बर 174 की पहले से किस्म बंजड कदीम चली आ रही थी एक ही साविक खसरा नम्बर की दो किस्म हाल जमाबन्दी में किया जाना बन्दोबस्त विभाग के द्वारा लापरवाही कर गलत किस्म दर्ज कर दी है । गलत किस्म के इन्द्राज की जानकारी नकल दस्तावेज लेने पर दिनांक 24.7.2023 को हुई। जिसके वजह से प्रार्थी को हक तलफी हो रही है विधि वजह प्रार्थी बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल जमाबन्दी के खसरा नम्बर 226 /0.10 की किस्म गु0मु0 रास्ता को दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 226/0.10 हैक्टर की किस्म गैर मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही 2 की शुद्धि कराये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल0आर0/ 2023 /1993 दिनांक 20.09.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रार्थीया जमाबन्दी सं0 2074—77 में आराजी खसरा न0 226 रकवा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता गौतम जैन पुत्र गजेन्द्र कुमार हिस्सा पूर्ण जाति वैश्य सा0 कस्बा कामां खातेदार दर्ज रिकार्ड है । मौके पर आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज0

6/0.10 का मौका अवलोकन करने से पता चला कि ग्राम लाडलाका में अन्दर जाने के लिए एक पक्का रास्ता गुजरता है । जिस रास्ते का 226/0.10 हैक्टर जिस रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 226 में लम्बाई 50 मीटर तथा चौडाई 6 मीटर अर्थात (50m× 6m)यानि 0.03 हैक्टर उक्त पक्के रास्ते के दोनों तरफ (पूर्व व पश्चिम) में पक्की दीवार बनी है जिसकी उचाई लगभग 4 फीट है । खसरा नम्बर 226/0.10 हैक्टर में 0.03 हैक्टर पक्का रास्ता बना हुआ है तथा शेष रकवा में कृषि कार्य किया जा रहा है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074—77, 2069—2072, 2016—2019 नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नकल मिसल बन्दोबस्त सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । अप्रार्थी पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं0 2074—2077 में आराजी खसरा नम्बर 226 रकवा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता गौतम जैन पुत्र गजेन्द्र कुमार हिस्सा पूर्ण जाति वैश्य सा0 कामां खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट मे अवगत कराया कि ग्राम लाडलाका में अन्दर जाने के लिए एक पक्का रास्ता गुजरता है जिस रास्ते का खसरा नम्बर 226/0.10 है0 जिस रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 226 में लम्बाई 50 मीटर तथा चौडाई 6 मीटर अर्थात (50m×6m) यानि 0.03 हैक्टर है। उक्त पक्के रास्ते के दोनो तरफ (पूर्व व पश्चिम) में पक्की दीवार बनी है। जिसकी उंचाई लगभग 4 फीट है। सैटलमेंट द्वारा रास्ता दर्शाया गया है वह सही है, साथ ही प्रार्थी ने अपने आवेदन में बताया है कि साविक खसरा नम्बर 174 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा में से मात्र 02 बिस्वा ही गै0 मुमकिन चाह पुख्ता थी। अतः प्रार्थी का आवेदन चाहे गये अनुतोष के पूर्णतः विपरीत है। प्रार्थना पत्र भू0राजस्व अधिनियम की अन्तर्गत धारा 136 को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आ दे श ::—

अतः आदेश दिया जाता है कि सैटलमेंट के द्वारा आखनं0 226 रकवा 0.10 मे से 0.03 हैक्टर में पक्का रास्ता दर्शाया गया है। वह मौके के अनुसार सही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से खारिज किया जाकर फैसल शुमार होवे। बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.4.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां
(डीग)